समाहरणालय, सिवान

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

–: आदेश :–

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 587 दिनांक 20.04.2018 के आलोक में समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारियों जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा हो, उनको पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25.04.2018 से 05.05.2018 तक अंतिम **विशेष अभियान** (शिविर) के आयोजन करने का निदेश प्राप्त है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के तहत उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। इस क्रम में किसी करणवश बहुत लाभुको का पेंशन भुगतान नहीं हो पाया है। पेंशन भुगतान नहीं होने के संबंध में निम्न बाते प्रकाश में आयी है :–

1. पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे कई पेंशनधारियों के नाम अभी तक पेंशन सूची में छूट गए है।
2. जिन पेंशनधारियों का नाम डिजिटाईज हुआ है उनमें भी 597 पेंशनधारी का बैंक खाता नहीं खुला है एवं यदि बैंक खाता खोला भी गया है तो उनका बैंक खाता वेबसाईट पर अपलोड नहीं है।
3. 9,608 डिजिटाईज खाता अभी तक पी0एफ0एम0एस0 द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। पी0एफ0एम0एस0 द्वारा खाता संख्या में त्रुटि होने पर, कारण सहित ई–लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि अंकित किया जाता है, जिसे निराकरण कर पुनः वेबसाईट पर अपलोड करना है, ताकि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा खाता स्वीकृत हो और उसमें पेंशन का भुगतान सुगमता से हो सकें।
4. सभी पी0एफ0एम0एस0 स्वीकृत खाता को प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड किया जाना है। अभी भी 1,73,802 स्वीकृत खातों के विरूद्ध मात्र 1,64,929 खाता को ही प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड किया गया है। प्रखण्ड द्वारा लॉक्ड नहीं करने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है।

   इस संबंध में पूर्व में दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018 तक तथा पुनः दिनांक 27.01.2018 से 17.02.2018 तक प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, परन्तु शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

   उपरोक्त के आलोक में छूटे हुए/भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों के लिए प्रखण्ड स्तर पर दिनांक 25.04.2018 से 05.05.2018 तक अंतिम रूप से शिविर का आयोजन किया जाय। उक्त शिविर में छूटे हुए पेशनधारियों से आवश्यक कागजात प्राप्त करते हुए ई–लाभार्थी पोर्टल पर डाटा डिजिटाईज किया जाय एवं उक्त कागजात को अभिलेख के रूप में संधारित किया जाय। प्रत्येक प्रखण्ड में उक्त अवधि के लिए पंचायत/पंचायत समूहवार रोस्टर निर्धारित कर शिविर के संबंध में प्रचार–प्रसार कराया जाय, ताकि कोई भी मामला छूटे नहीं। निर्धारित रोस्टर की एक प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को दिनांक 25.04.2018 को 11:00 बजे पूर्वाहन तक भेजना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक शिविर में इन्टरनेट सुविधा युक्त कम–से–कम चार कम्प्यूटर सेट (ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
6. प्रत्येक शिविर में आधार पंजीकरण हेतु अधिकृत आधार एजेंसी का एक काउन्टर लगाया जाय ताकि आवश्यकतानुसार आधार कार्ड बनाया जा सकें अथवा उसमें कोई संशोधन किया जा सकें।

7. इसी प्रकार प्रत्येक शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु कम–से–कम एक काउन्टर की व्यवस्था की जाय।

8. छूटे हुए/भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों को अपने दावा के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाणक यथा– (क) पेंशन पासबुक अथवा स्वीकृत्यादेश की प्रति/अथवा पूर्व में पेंशन प्राप्त होने का कोई अन्य प्रमाणिक साक्ष्य (ख) पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति जिसमें नाम एवं बैंक खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो (ग) आधार कार्ड अथवा कोई अन्य प्रमाणिक परिचय पत्र जिनके पास आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नही हो तो शिविर में ही कार्ड बनवाया एवं खाता खुलवाया जाय। प्रत्येक ऐसे लाभार्थी जिनका नाम Entry किया जायेगा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लाभार्थीवार अभिलेख का संधारण किया जाय।

9. उपरोक्त प्रमाणक के आधार पर ई–लाभार्थी पोर्टल/भुगतान पंजी से जाँच कर ली जाय। सत्यापित योग्य पेंशनधारी का डाटा यदि ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो तत्काल ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

10. वैसे पेंशनधारी जिनका आधार नहीं है उनका आधार पंजीकरण कर **Enrollment ID** को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

11. इस बात का ध्यान रखा जाय कि ई-लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता एवं आधार में उनका नाम सामान हो, अन्यथा ई-लाभार्थी पोर्टल में नाम दर्ज होने पर भी इनके खाता में राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा। अतः शिविर में ऐसे मामलों में नामों के इस अंतर का दूर कर संबंधित अभिलेखों (पेंशन पंजी/बैंक खाता/आधार कार्ड) में सुधार कर लिया जाय। पोर्टल में दर्ज मामलों में पंचायतवार PFMS अस्वीकृत पेंशनधारियों की सूची डाउनलोड कर तत्काल त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

12. इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि यदि कोई 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन के साथ–साथ अन्य पेंशन यथा विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन के लिए भी योग्य हों तो उनको वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय। इसी प्रकार कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की पेंशन योजना के लिए योग्य हो तो उन्हें भारत सरकार की पेंशन योजना के तहत दर्ज किया जाय।

13. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारी को वृद्धावस्था पेंशन के तहत् दर्ज किया जाय ताकि पेंशनधारी को अधिकाधिक पेंशन मिल सकें।

14. **PFMS** द्वारा स्वीकृत परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा **Lock** करने हेतु लंबित मामलों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बिना शिविर के आयोजन की प्रतीक्षा किये अविलम्ब **Lock** किया जाय।

15. उपरोक्त शिविर के आयोजन के संबध में समाचार–पत्र, माईक पोस्टर आदि की सहायता से सूचना दी जाय तथा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा शिविर की सूचना जनप्रतिनिधि यथा–मुखिया, वार्ड सदस्य एवं माननीय विधायक/पार्षद को भी दी जाय।

16. सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते है, जो इस कार्य का सतत अनुश्रवण करेगें एवं प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देंगें।

17. शविर में **First Aid,** पेय जल सुरक्षा आदि की व्यवस्था संबंधित **PHC,** थाना एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

18. छूटे हुए/पूर्व से भुगतान प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों के लिए यह अंतिम शिविर होगा।

अतः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिदिन का प्रगति प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखण्ड का नाम	तिथि	लाभार्थी की सं0 जिनका नाम ई–लाभार्थी पर दर्ज किया गया	पेंशनधारी की सं0 जिनका आधार सं0 अपडेट किया गया	पेंशनधारी की सं0 जिनका आधार **Enrollment** किया गया	कितने **PFMS** अस्वीकृत बैंक खाता सं0 सुधार किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक 2356/सा0सु0को0, दिनांक 21/04/2018

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, (महाराजगंज) सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंधक, अग्रणी बैंक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में लगातार दिनांक 25.04, 2018 से 05.05.2018 तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान/महाराजगंज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, **DRDA** को आधार पंजीकरण के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उप विकास आयुक्त, सिवान/अपर समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष, जिला परिषद्, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— वरीय प्रशासी पदाधिकारी SSUPSW को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 587/दिनांक 20.04.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय विधायक एवं जिला पार्षद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय सांसद श्री ओमप्रकाश यादव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय प्रभारी मंत्री सिवान जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/4/18

जिला पदाधिकारी,
सिवान।